GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 250] No. 250] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 699

DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

[N.C.T.D. No. 699

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. फा. 14(45) / एलए—2018 / cons2law/114-123.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनांक 28 दिसंबर, 2018 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकिस्मिक निधि संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का दिल्ली अधिनियम 08)

(21 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[28 दिसंबर, 2018]

एक बिल संशोधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1994 भारत गणराज्य के उनहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -
 - (क) यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकिस्मक निधि संशोधन अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (ख) यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

00

2. अनुभाग 2 में संशोधन -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आकिस्मिक निधि अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम संख्या 13, 1994) के अनुभाग 2 में ''दस करोड़ रुपये की राशि'' शब्द के स्थान पर ''सौ करोड़ रुपये की राशि'' प्रतिस्थापित कर दी जाए।

अनूप कुमार मेंहदीरत्ता, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2018

No. F. 14(45)/LA-2018/cons2law/114-123.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28th December, 2018 and is hereby published for general information:—

"The Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2018"
(DELHI ACT 08 OF 2018)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 21st December, 2018)

[28th December, 2018]

An Act to amend the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2018.
- (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of Section 2. In the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi Act, 1994, (Delhi Act No. 13 of 1994), in section 2, for the words "a sum of rupees ten crores", the words "a sum of rupees one hundred crore" shall be substituted.

ANOOP KUMAR MENDIRATTA, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)

MANOJ Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA

KUMAR VERMA Date: 2019.01.12
17:14:42 +05'30'